राष्ट्र के हित में शिक्षा   शिक्षा के हित में शिक्षक   शिक्षक के हित में समाज

ॐ

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

राष्ट्रीय साधारण सभा

जनसेवा विद्या केन्द्र,मगदी रोड, चेनन्हल्ली, बेंगलुरु (कर्नाटक)

मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, विक्रम संवत् 2079
10 नवम्बर 2022

A
B
R
S
M

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
राष्ट्र के हित में शिक्षा
शिक्षा के हित में शिक्षक
शिक्षक के हित में समाज
सा विद्या या विमुक्तये

महामंत्री प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव

महामंत्री प्रतिवेदन

'राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज' के ध्येय को दृष्टि में रखते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के वैचारिक अधिष्ठान के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की 1988 में प्रारंभ गंगोत्री अब तक 28 राज्यों के पूर्व-प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर के 12 लाख से अधिक शिक्षकों की निरंतर बढ़ती हुई सुरसरि बन चुकी है ।

स्थायी कार्यक्रम

- **कर्तव्य बोध दिवस :** 'कर्तव्य में ही अधिकार है' के भाव को समाज में जागृत करने हेतु स्वामी विवेकानंद जयंती (12 जनवरी) से सुभाष चंद्र बोस जयंती (23 जनवरी) के मध्य 442 जिलों में 1714 कार्यक्रम संपन्न हुए, जिनमें 72331 बंधु बहनों का सहभाग रहा। महिला संवर्ग द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के लिए कर्तव्य बोध दिवस का एक आयोजन ऑनलाइन भी किया गया जिसमें सात सौ से अधिक शिक्षिकाओं ने भागीदारी की।
- **गुरु वंदन कार्यक्रम :** 'भारतीय गुरु-शिष्य परंपरा' के आलोक में शिक्षक का कर्मपथ हो, इस दृष्टि से श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महासंघ से संबद्ध इकाइयों द्वारा 411 जिलों में 1078 गुरु वंदन कार्यक्रम संपन्न किए गए, जिसमें 66481 बंधु-बहन उपस्थित रहे।
- **वर्ष प्रतिपदा :** वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर विभिन्न इकाइयों द्वारा भारतीय कालगणना के महत्व पर संगोष्ठियाँ, चौराहा सज्जा, गृह सज्जा, दीपदान, शुभेच्छा प्रेषण आदि कार्यक्रम निचली इकाई तक संपन्न किए गए।

'शिक्षा भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान

महासंघ द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से असाधारण एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन शिक्षाविदों को शिक्षा भूषण अखिल भारतीय सम्मान, जिसमें एक लाख रुपए, रजत चिन्ह, सम्मान पत्र आदि शामिल होता है, से सम्मानित किया जाता है। 'शिक्षकों द्वारा शिक्षक का सम्मान' का यह अनूठा उदाहरण है जिसमें सम्मान की संपूर्ण राशि का व्यय शिक्षकों द्वारा मात्र एक बार सौ रुपए के सहयोग से बने अक्षय कोष के माध्यम से होता है।

छठे 'शिक्षा भूषण' अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन इस बार 19 दिसंबर 2021 को कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में गीता मनीषी पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में हुआ। प्रख्यात भाषाविद् डॉ. बद्री प्रसाद पंचोली, ख्यातनाम शिक्षाविद और लेखक प्रो. कपिल कपूर तथा वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् श्रीमती रेनू दांडेकर इस बार की सम्मानित विभूतियाँ रही।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति जागरूकता एवं क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शिक्षा हितकारी प्रावधानों के प्रति शिक्षकों एवं समाज को जागरूक करने तथा उसके क्रियान्वयन के विभिन्न पक्षों को लेकर महासंघ द्वारा वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यशालाओं, प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय संगोष्ठियों एवं बैठकों के माध्यम से गंभीर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ऑनलाइन शिक्षा, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आदि प्रमुख विषयों पर महासंघ द्वारा विस्तृत प्रेक्षण और सुझाव शासन को प्रेषित किए गए।

17-18 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन : चुनौतियाँ और संभावनाएँ'** विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में 19 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 22-23 दिसम्बर 2021 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में 'सिनर्जाइजिंग हायर एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी : स्ट्रैटजीज फॉर इंप्लीमेंटेशन' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति तथा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, 30 कुलपतियों और देश भर के 1000 संभागियों ने भाग लिया। 17 फरवरी 2022 को **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियाँ'** विषय पर आयोजित ऑनलाइन संगोष्ठी में देशभर के 1200 से अधिक उच्च शिक्षा के शिक्षक जुड़े। इसी प्रकार 22 एवं 23 मार्च 2022 'National Education Policy 2020- A Road map to Revamp the Indian Higher Education System' श्री वैंकटेश्वरा विश्वविद्यालय तथा पदमावती महिला विश्वविद्यालय के सहयोग से तिरूपति में सम्पन्न राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, 25 से अधिक कुलपतियों एवं 1100

से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। 7 एवं 8 सितम्बर 2022 को बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय एवं बेंगलुरु नार्थ विश्वविद्यालय के सहयोग से बेंगलुरु में '**उन्नत शिक्षण-उन्नत भारत**' विषय पर सम्पन्न राष्ट्रीय संगोष्ठी में कर्नाटक राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय 20 कुलपतियों एवं देश भर के 900 से अधिक शिक्षाविदों ने भाग लिया। अलग-अलग प्रदेशों एवं विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में इस प्रकार की संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

स्वतन्त्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम

स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में महासंघ के संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम सम्पन्न किये गये। एक अगस्त 2022 को एक साथ एक ही दिन में एक समान कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में भारत माता पूजन, स्वतन्त्रता सेनानियों एवं सैनिक परिवारों का सम्मान कार्यक्रम 2,10,380 से अधिक विद्यालयों में उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अद्भुत एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम की सम्पूर्ण देश में बहुत ही सराहना हुई है। स्वतन्त्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत 'इण्डिया से भारत की ओर' थीम पर 750 से अधिक महाविद्यालयों में व्याख्यान, 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियाँ तथा अनेक जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं और यह क्रम अभी भी चल रहा है।

सेवा कार्य

कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में सेवा कार्य महासंघ की इकाइयों और सदस्यों ने व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से आर्थिक सहयोग के अलावा, मासिक सैनिटाइजर, काढ़ा, राशन कार्ड और भोजन पैकेट वितरण में व्यापक स्तर पर सहयोग किया। संगठन की योजना से इकाइयों द्वारा समाज में कोविड-19 उचित व्यवहार एवं वैक्सीन जागरूकता हेतु प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन अभियान संपन्न किए।

एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान के अंतर्गत इस वर्ष 25,000 से अधिक वृक्ष लगाकर उनके पालन का संकल्प लिया गया तथा पिछले वर्षों में लगाए गए वृक्षों का जन्मदिन मनाया गया। एक शिक्षक-एक विद्यार्थी कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक-सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों की फीस, यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि का व्यय वहन करने की जिम्मेदारी सदस्यों द्वारा ली गई। जीव सृष्टि कल्याण योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए चारे-भोजन-पानी व पक्षियों के लिए दाना, घोंसला, परिंडे आदि की व्यवस्था

का कार्य भी विभिन्न संबद्ध संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया। गुजरात इकाई द्वारा 'दत्तक दीकरी' योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्राओं को पुस्तक, गणवेश एवं अन्य सामग्री प्रदान की गई।

कश्मीर में शिक्षकों के हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की माँग

कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा शिक्षण कार्य में अपने कर्तव्य निभा रहे शिक्षकों की नृशंस हत्या को लेकर महासंघ की इकाइयों ने देश भर में कड़ा विरोध करते हुए हत्यारों पर सख्त कार्रवाई की माँग की गई। आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए देशभर से ज्ञापन गृह मंत्री एवं उप राज्यपाल जम्मू-कश्मीर को भेजे गए तथा मीडिया के माध्यम से इस बर्बर घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया गया।

प्रकाशन

शिक्षकों और समाज के वैचारिक प्रबोधन के लिए पुस्तक प्रकाशन की शृंखला में इस वर्ष दो प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित की गई। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर **'हिन्द की चादर'** गुरु तेग बहादुरजी के जीवन पर आधारित पुस्तक का प्रकाशन किया गया। नेताजी के 125 वें जयंती वर्ष में प्रकाशित **'जय हिंद'** पुस्तक में लेखक श्री हनुमान सिंह राठौड़, क्षेत्र कार्यवाह उत्तर पश्चिम क्षेत्र ने सुभाष चंद्र बोस के शैक्षिक, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक चिंतन को भारत के पुनर्निर्माण की दृष्टि से प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया है।

शैक्षिक क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अधिक गुणवत्तापूर्ण नियमित प्रकाशन से अपनी विशिष्ट प्रतिष्ठित पहचान बनाने वाली 'शैक्षिक मंथन' मासिक पत्रिका के इस वर्ष विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक विषयों सहित स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत शिक्षकों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों-पत्रकारों, महिलाओं सहित विभिन्न ज्ञात-कमज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों पर विशेषांक प्रकाशित करने की प्रक्रिया जारी है।

स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संघर्ष काल में शिक्षा के माध्यम से अलख जगाने वाले भारतीय महापुरुषों की उक्तियों एवं चित्रों से सुसज्जित वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन भी महासंघ द्वारा किया गया है। महासंघ द्वारा देशभर में हो रही उसकी गतिविधियों की जानकारी मासिक न्यूज़लेटर 'एबीआरएसएम समाचार' के माध्यम से प्रकाशित की जाती है । इसके अलावा संबद्ध राज्य संगठनों द्वारा मासिक/पाक्षिक पत्रिकाओं, न्यूज़लेटर, कैलेंडर, डायरी आदि का प्रकाशन भी नियमित रूप से होता है।

प्रस्ताव

महासंघ की साधारण सभा द्वारा इस वर्ष के लिए तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए हैं –

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास और समुचित संसाधन आवश्यक।
- स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का पर्व बने।
- शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए।

कार्य विस्तार

महासंघ ने उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के शिक्षकों के साथ व्यापक स्तर पर बैठक संपन्न कर तीनों के अलग–अलग फोरम बनाकर इन क्षेत्रों में सघन काम करना प्रारंभ किया है ।

संगठनात्मक गतिविधियाँ

महासंघ और इससे संबंधित संगठनों की अखिल भारतीय स्तर से लेकर खण्ड इकाई स्तर तक कार्यकारिणी बैठकें, कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग/ प्रशिक्षण वर्ग, नवीन कार्यकर्ता परिचय वर्ग, अधिवेशन, विधानानुसार संगठनात्मक निर्वाचन नियमित रूप से होते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा और महिला संवर्ग के साथ–साथ शैक्षिक, प्रशिक्षण और मीडिया प्रकोष्ठ अपनी–अपनी कार्ययोजना के अनुसार नियमित रूप से संगठनात्मक गतिविधियाँ संपन्न करते हैं। महासंघ की केन्द्रीय कार्यकर्ता टोली बैठक 18–19–20 दिसम्बर 2022 को कुफरी, शिमला में सम्पन्न हुई।

अखिल भारतीय शोध निबंध प्रतियोगिता

महासंघ द्वारा विद्यालय एवं उच्च शिक्षा स्तर के लिए शिक्षा और समाज से जुड़े चार–चार विषयों पर अखिल भारतीय शोध निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। निष्पक्ष निर्णायक मंडल द्वारा मूल्यांकन के पश्चात विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए गए । चयनित निबंधों को शीघ्र ही पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु गतिविधियाँ

विद्यालय एवं उच्च शिक्षा के शिक्षकों की विभिन्न स्तरों पर लंबित समस्याओं के लिए महासंघ और उससे संबंधित संगठनों द्वारा पत्र, ज्ञापन, सोशल मीडिया, भेंट वार्ता आदि के माध्यम से नियमित प्रयास किए गए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, कुलपतिगण, यूजीसी अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आदि से विभिन्न विषयों के समाधान को लेकर भेंट की गई। महासंघ के प्रयासों से कई समस्याओं का समाधान हुआ या समाधान की दिशा में प्रगति हुई।

आगामी कार्य योजना

- 'मेरा विद्यालय-मेरा तीर्थ' कार्यक्रम के माध्यम से न्यूनतम एक हजार विद्यालयों का कायाकल्प करना।
- उच्च शिक्षा क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा, प्रबंध शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन शिक्षा अभियांत्रिकी एवं वास्तुकला शिक्षा, विधि शिक्षा एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के शिक्षकों में सुनियोजित संगठनात्मक ढाँचा खड़ा करना।
- वर्ष 2025 तक विद्यालय क्षेत्र में प्रत्येक मंडल (6-8 विद्यालयों का समूह) तक पहुँचना ।
- वर्ष 2025 तक न्यूनतम 300 विश्वविद्यालयों में संगठनात्मक संरचना खड़ी करना।
- फरवरी 2023 में जनसंख्या नीति को केन्द्र मानकर एक अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करना।

अन्त में मैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सभी पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों एवं देशभर के कार्यकर्ताओं का हृदय से आभारी हूँ जिनके सहयोग से यह सब कुछ प्राप्त करना सम्भव हुआ है। जो भी कुछ कमियाँ कार्य में यदि रही हैं उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमाप्रार्थी हूँ।

भवदीय

(शिवानन्द सिन्दनकेरा)
महामंत्री

प्रस्ताव

प्रस्ताव क्रमांक 1

समग्र, निष्पक्ष एवं एकात्म जनसंख्या नीति का निर्माण हो

135 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। विश्व की 17 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या यहाँ दुनिया के मात्रा 2.4 प्रतिशत भू-भाग पर निवास करती है।

भारत की विविधतापूर्ण एवं विशाल जनसांख्यिकीय संरचना कई दूरगामी अवसरों और चुनौतियों को प्रस्तुत करती है। एक दृष्टि से अधिक जनशक्ति का होना एक एसेट या निधि है, वही दूसरी ओर हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की गंभीर चुनौती भी है।

जनसंख्या का विषय ना केवल निवासियों के योगक्षेम से जुड़ा है वरन यह हमारी राष्ट्रीय पहचान और सुरक्षा से जुड़ा भी गंभीर विषय है। जनसंख्या वृद्धि समाज और राष्ट्र जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है – मातृशक्ति का स्वास्थ्य, निवासियों की आर्थिक क्षमता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महामारी, पोषण, स्वच्छ जल, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त ऊर्जा संसाधन, उत्पादन, स्वच्छ पर्यावरण और मानवीय गरिमा आदि विषय जनसंख्या से सीधे जुड़े हैं।

भारत की जनसंख्या स्वाधीनता के बाद (1951 में 36.1करोड़) लगभग चार गुना बढ़ चुकी है। वर्ष 2000 में सरकार ने जनसंख्या नीति का निर्धारण करते समय कुल प्रजनन दर का लक्ष्य 2.1 प्राप्त करना रखा था। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों तथा समाज के एक बड़े वर्ग की जागरूकता और सकारात्मक सहभागिता के कारण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 की 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर 2.0 हो गई है, पर जनसंख्या के विस्तृत आँकड़े कुछ गंभीर प्रश्न उपस्थित करते हैं –

भारत में बढ़ते शहरीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण समाज के एक बड़े वर्ग में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ा है। इस तरह का आत्मकेंद्रित विचार भारत की कुटुंब व्यवस्था में कभी नहीं रहा। विभिन्न मनोवैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि बहुत छोटे परिवार बच्चों के स्वस्थ एवं समग्र विकास को बाधित करते हैं तथा व्यक्तियों में असुरक्षा, सामाजिक तनाव और एकाकी जीवन जैसी अनेक चुनौतियों को प्रस्तुत करते हैं।

दूसरी ओर विभिन्न संप्रदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत अधिक असमानता के चलते जनसंख्या असंतुलन देश की सुरक्षा, अखंडता और राष्ट्रीय पहचान पर गंभीर संकट प्रस्तुत कर सकते हैं। 75 वर्ष पूर्व देश के कुछ भागों में जनसंख्या के पांथिक असंतुलन का परिणाम विभाजन की दु:खद स्मृति के रूप में देश के इतिहास में दर्ज है। विश्व का इतिहास भी इस बात का साक्षी है की जब-जब किसी देश की जनसांख्यिकी में असंतुलन होता है तो उसे देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन होता है, वर्तमान के पूर्वी तिमोर, दक्षिण सूडान, कोसोवो जैसे नए देशों का उदय जनसंख्या असंतुलन का ही परिणाम है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या असंतुलन का कारण जन्म दर में अंतर के साथ-साथ, प्रायोजित अवैध घुसपैठ, तथा लालच एवं बल के आधार पर चलने वाला मतांतरण भी है। महासंघ की साधारण सभा इस संबंध में प्रभावी मतांतरणरोधी कानून के निर्माण, घुसपैठ रोकने एवं घुसपैठियों को वापस सीमा पार भेजने की प्रभावी व्यवस्था करने की केंद्र एवं राज्य सरकारों से माँग करती है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सरकार से आग्रह करती है कि जनांकिकी में परिवर्तन से संबंधित इन सब तथ्यों पर गहन विचार करके एक समग्र, निष्पक्ष एवं एकात्म जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाए जो मत, पन्थ, सम्प्रदाय, क्षेत्रादि के आग्रहों से मुक्त रहते हुए सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर, समर्थ, अखंड, भव्य भारत के निर्माण के ध्येय को पूर्ण करने में सहकारी हो।

समाज द्वारा नीति एवं नियमों के पालन की मानसिकता परिणामकारी परिवर्तन के लिए आवश्यक है। एतद्वारा यह साधारण सभा देशभर के अपने शिक्षक कार्यकर्ताओं से भी यह आह्वान करती है कि समाज में इस विषय मे व्यापक जन जागरण एवं प्रबोधन करते हुए जनमानस को जनसंख्या के प्रश्नों के समाधान हेतु समग्र एवं सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करें।

Proposal No. 1

Holistic, Fair and Integrated Population Policy should be formulated

Bharat is the second most populous country in the world with over 135 crore inhabitants. More than 17% of the world's population lives here on 2.4 percent of the world's land area.

India's diverse and vast demographic structure presents many far-reaching opportunities and challenges. Having more manpower from one point of view is an asset , on the other hand it is also a serious challenge for providing quality life to every individual.

The issue of population is not only related to the welfare of the citizens, but it is also a serious matter related to our national identity and security. Population growth affects society and nation life extensively – Subjects like maternal health, economic potential of residents, quality education, health, employment, epidemics, nutrition, clean water, adequate food, adequate energy resources, production, clean environment and human dignity etc. are directly related to the population.

The population of Bharat has increased almost four times since independence (36.1 crore in 1951). In the year 2000, while deciding the population policy, the target of total fertility rate was set to be 2.1. Due to the coordinated efforts of the central and state governments and the awareness and positive participation of a large section of the society, according to the report published in 2022 of the National Family Health Survey-5, the total fertility rate has become 2.0. But the detailed data of the population raise some serious questions -

Due to the increasing urbanization in Bharat and the influence of western culture, the practice of nuclear family has increased in a large section of the society. Such a self-centered idea has never existed in the family system of Bharat. Various psychological and social scientific studies show that very small families impede the

healthy and holistic development of children and present many challenges like insecurities, social stress and lonely life among individuals.

On the other hand, population imbalance due to high disparity in the growth rate of population of different communities can present a serious threat to the security, integrity and national identity of the country. 75 years ago in some parts of the country, the result of religious imbalance of population is recorded in the history of the country in the form of sad memories of partition. The history of the world is also a witness to the fact that whenever there is an imbalance in the demographics of a country, it also changes the geographical boundaries of the country. The emergence of new countries like present-day East Timor, South Sudan, Kosovo is the result of population imbalance.

Population imbalance in different parts of Bharat is due to differences in birth rates as well as sponsored illegal immigration and conversion based on greed and force. The General Assembly of the ABRSM demands from the Central and State Governments to make effective anti-conversion law in this regard, to prevent infiltration and to make effective arrangements to send the infiltrators back across the border.

This general assembly of the Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh urges the government to consider all these facts related to the change in demographics and formulate a holistic, fair and integrated population policy, which is cooperative in fulfilling the goal of building an all-inclusive, self-reliant, capable, united, glorious Bharat , while remaining free from the prejudice of faith, creed, sect, region etc.

The mindset of total observance of the policy and rules by the society is necessary for the resultant change. Hereby, this general assembly also calls upon its teacher Karykakartas from all over the country to make wide public awareness and persuasion about this subject in the society and inspire the public for comprehensive and active participation in resolving the questions of the population.

प्रस्ताव क्रमांक 2

गुणवत्ता एवं गरिमापूर्ण शिक्षा हेतु समुचित संसाधनों की व्यवस्था हो

''गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है'', यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज का प्रारंभ वाक्य है।

इस परिप्रेक्ष्य में देश के शिक्षा संस्थानों विशेष रूप से राज्य वित्त से संचालित संस्थानों की स्थितियाँ बहुत निराशाजनक दृश्य उपस्थित करती है। विद्यालय शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 10,22,386हजार सरकारी विद्यालयों में से 10,20,219 हजार विद्यालय राज्य वित्त से संचालित हैं। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 48लाख 82 हजार अध्यापकों में से 48लाख 24 हजार अध्यापक इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 14 करोड़ 5 लाख विद्यार्थियों में से 13 करोड़ 87 लाख विद्यार्थियों को अध्यापन कराते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के लक्ष्य को प्राप्त करना इन शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुधरे बिना संभव दिखाई नहीं देता। इन विद्यालयों में से अधिकांश पर्याप्त मूलभूत संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जर्जर और अपर्याप्त विद्यालय भवन; खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्राफ्ट कक्ष आदि की अनुपलब्धता; स्वच्छ जल, बिजली, कार्यशील टॉयलेट, हाथ धोने की व्यवस्था आदि की बड़ी मात्रा में कमी; कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना डिजिटल डिवाइस से जूझते अधिकांश विद्यालय एसडीजी-4 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में अक्षम दिखाई देते हैं।

इन विद्यालयों में शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। कई राज्यों में लंबे समय से स्थाई नियुक्तियाँ नहीं हुई है, इसके स्थान पर पिछले वर्षों में तदर्थ व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दिया गया है। बड़ी संख्या में विद्यालय एक या दो शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं

शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कार्यों का अत्यधिक भार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षक अपना लगभग 19 प्रतिशत समय ही शिक्षण के लिए समर्पित कर पाते हैं जबकि शेष समय गैर-शिक्षण प्रशासनिक कार्यों में व्यतीत हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा, बहुविषयक शिक्षा एवं पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा जैसे प्रावधानों को भी कई राज्यों में बिना समुचित दक्ष मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों की व्यवस्था के लागू करने के प्रयास हुए हैं। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतर एवं सार्वभौमिक उपलब्धता एक स्वप्न ही नजर आता है।

उच्च शिक्षा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आती है। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आधारभूत सुविधाओं और पर्याप्त मानवीय संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में देश-विदेश में निरंतर नीचे जा रहे हैं। एनआईआरएफ और नैक में अधिकांश राज्य वित्त पोषित संस्थानों के बहुत कमजोर प्रदर्शन का एक बड़ा कारण शिक्षा के वित्तीय पोषण से सरकारों की बढ़ती हुई उदासीनता है। 2001 के बाद से उच्च शिक्षा संस्थाओं में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है लेकिन अधिकांश निजी क्षेत्र में। देश के 42343 महाविद्यालय में से 78प्रतिशत तथा 1043 विश्वविद्यालय में से 41 प्रतिशत से अधिक निजी हाथों में होना राजकीय उत्तरदायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की इस साधारण सभा का यह सर्वसम्मत मत है कि शैक्षिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश जनशक्ति की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु बहुत आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त सुशिक्षित जन ही देश के समग्र आर्थिक विकास का आधार है। महासंघ की यह साधारण सभा केंद्र सरकार एवं सभी राज्य सरकारों से अपील करती है कि वे इन शिक्षा संस्थानों की खराब स्थिति पर अविलंब संज्ञान लें तथा पर्याप्त स्थायी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों उपलब्ध कराते हुए शैक्षणिक गरिमा एवं गुणवत्ता हेतु अपना लोक कल्याणकारी योगदान सुनिश्चित करें।

Proposal No. 2

Adequate resources should be arranged for quality and dignified education.

"Providing universal access to quality education is the key to Bharat's continued ascent, and leadership on the global stage in terms of economic growth,social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation", is the opening sentence of the National Education Policy 2020 document.

In this context, the condition of the educational institutions of the country, especially the institutions run by the state finances, presents a very sad view. In school education, out of 10,22,386 government schools from primary to higher secondary, 10,20,219 schools are run by state finance. Out of 48 lakh 82 thousand teachers working in government schools, 48 lakh 24 thousand teachers teach 13 crore 87 lakh students out of 14 crore 05 lakh students studying in these schools.

Achieving the goal of universal access to quality education as per the National Policy on Education is not possible without improving the condition of these educational institutions. Most of these schools are suffering from lack of adequate basic resources. dilapidated and inadequate school building; non-availability of playground, library, laboratory, craft room etc.; shortage of clean water, electricity, working toilets, hand washing facilities, etc.; grappling with the digital divide without computers and the Internet, most schools appear incapable of meeting the goals of SDG-4 and the National Education Policy.

A large number of posts of teachers are lying vacant in these schools. In many states, there have been no permanent appointments for a long time, instead ad-hoc arrangements have been promoted continuously over the years. A large number of schools are running on the basis of one or two teachers and teachers are heavily burdened

with non-academic work. According to a study conducted by the National Institute of Education Planning and Administration, teachers are able to devote only about 19% of their time to teaching while the remaining time is spent in non-teaching administrative tasks. Efforts have also been made to implement the provisions of the National Education Policy like Vocational and Skill Education, Multidisciplinary Education and Early Childhood Education in many states without proper arrangements of efficient human and material resources. In such a situation, continuous and universal availability of quality education seems a dream.

More or less the same situation is seen in higher education also. In terms of providing quality education, the position of state funded universities and colleges is continuously deteriorating in the absence of basic facilities and adequate human resources. A major reason for the very poor performance of most of the state funded institutions in NIRF and NAAC is the growing apathy of the governments in funding education. Since 2001, there has been an almost 4-fold increase in the institutions of higher education but mostly in the private sector. More than 78% out of 42343 colleges in the country and 41% out of 1043 universities in private hands raise a question mark on state responsibility.

This General Assembly of the Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh is of the unanimous opinion that adequate investment in the educational sector is essential for increasing the efficiency and productivity of manpower. Well educated people with quality education is the basis of overall economic development of the country. This General Assembly of the ABRSM appeals to the Central Government and all the State Governments to take immediate cognizance of the poor condition of these educational institutions and ensure their public welfare role for educational dignity and quality by providing adequate permanent human and material resources.

प्रस्ताव क्रमांक 3

शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलंब किया जाए

शिक्षा एवं शिक्षकों की कई समस्याएँ शासन की उपेक्षा और अनिर्णय के कारण काफी समय से लंबित पड़ी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सरकार से माँग करती है कि संवेदनशील रुख दिखाते हुए समस्याओं का समाधान अविलंब किया जाए।

1. संपूर्ण देश में सभी स्तरों पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर स्थाई और नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए तथा तदर्थवाद बंद किया जाए।
2. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए।
3. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी शिक्षकों के लिए बहाल की जाए।
4. संपूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाए।
5. सभी स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था की जाए।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षकों को समयबद्ध करियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।
7. सेवारत शिक्षकों को पीएचडी कोर्स वर्क से मुक्त किया जाए अथवा कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अवकाश/ऑनलाइन व्यवस्था हो।
8. अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के भुगतान की कोषागार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
9. स्कूल एवं उच्च शिक्षा के समस्त शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य कार्ड जारी कर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
10. यूजीसी रेगुलेशन 2018को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए रेगुलेशन की विसंगतियों को दूर किया जाए।
11. पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक और अन्य समान सेवाओं की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।

12. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही करवाए जाएँ। मिड-डे-मील योजना के प्रबंधन व क्रियान्वयन से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए।

13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए।

14. केंद्र सरकार अपने बजट का 10 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करें ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएँ पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सके।

15. संपूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाए। शिक्षा संबंधी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।

16. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाए तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएँ प्रदान की जाए।

17. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियंत्रण सुनिश्चित हो।

18. महाविद्यालय प्राचार्य का सेवाकाल 5 वर्ष तक ही सीमित न रखकर इसे सेवानिवृत्ति तक विस्तारित किया जाए।

19. सभी शिक्षण संस्थाओं में उचित शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालयों में जितनी कक्षा उतने न्यूनतम शिक्षक तथा इससे ऊपर की शिक्षा देने वाले विद्यालयों में न्यूनतम प्रत्येक विषय में शिक्षक लगाए जाएँ। उच्च शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात के संबंध में यूजीसी के मानदंडों को लागू किया जाए।

20. स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की सुरक्षा हेतु नियुक्ति, वेतन और सेवा शर्तें के समुचित नियमन की प्रभावी व्यवस्था की जाए।

21. प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषदों में मत देने का अधिकार दिया जाए।

Proposal No. 3

The problems of education and teachers should be resolved immediately.

Many problems of education and teachers have been pending for a long time due to the neglect and indecision of the government. This general body of the Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh demands from the government that the problems should be resolved without any delay by showing a sensitive attitude.

1. Permanent and regular appointment of teachers should be ensured at all levels all over the country and adhocism should be stopped.
2. The recommendations of the Seventh Pay Commission should be implemented uniformly throughout the country and its anomalies should be removed.
3. The pension scheme before 1 January 2004 should be restored for all teachers.
4. The retirement age of teachers should be uniformly 65 years across the country.
5. Systematic and regular arrangements should be made for the training of teachers at all levels.
6. Time bound benefits of career advancement scheme to the teachers of higher education should be ensured.
7. Serving teachers should be exempted from PhD course work or there should be paid leave / online arrangement for course work.
8. The treasury system for payment of aided educational institutions should be ensured.
9. The teachers of schools and higher education be provided free Health Care facility for their proper medical treatment and its proper implementation be ensured.
10. UGC Regulation 2018 should be implemented uniformly throughout the country and anomalies in the regulation should

be removed by making the report of the Anomaly Redressal Committee public.

11. Parity of librarians, physical teachers and such other equal services be maintained with the teachers.
12. Only educational work should be done by teachers. Teachers should be kept free from the management and implementation of the Mid Day Meal Scheme.
13. National Education Policy 2020 should be implemented uniformly across the country.
14. The Central Government and the State Governments should ensure that 10% and 30% of their budget respectively is spent on education so that an adequate number of teachers and other basic facilities like books, buildings, playgrounds etc. can be made available.
15. The autonomy of education should be restored throughout the country. The participation of teachers should be ensured in all decisions related to education and political and administrative interference should be stopped.
16. The provisions of the Right to Free and Compulsory Education should be made consistent and practical and necessary resources and facilities should be provided to ensure their compliance.
17. Ensure control over the commercialization of education.
18. The tenure of the college principal should not be limited to 5 years and should be extended till retirement.
19. Proper teacher student ratio should be ensured in all educational institutions. minimum one teacher for each class in primary schools and minimum one teacher for each subject in schools teaching above primary. UGC norms regarding teacher student ratio in higher education should be implemented.
20. Effective arrangements should be made for proper regulation of appointment, salary and service conditions for the safety of teachers of self-financing educational institutions.
21. Primary teachers should be given the right to vote in the Legislative Councils.

केन्द्रीय कार्यालय

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

शैक्षिक महासंघ सदन

606/13, कृष्णा गली न.9, मौजपुर, दिल्ली-110053 दूरभाष : 9414040403

www. abrsm.in, www.abrsm.co.in

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmbharat@gmail.com, contact@abrsm.in